छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

विज्ञापन प्रारूप

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन अंतर्गत संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत् लोकपाल द्वारा पारित 'अवार्ड' के विरुद्ध अपील हेतु गठित "त्रि–सदस्यीय अपीलीय प्राधिकरण" में 03 सदस्यों की नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों से राज्य स्तर पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं ।

कुल रिक्त पदों की संख्या – **03**

पदों का प्रकार/अनुभव का क्षेत्र – निम्नांकित 03 क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र से एक–एक सदस्य की नियुक्ति की जावेगी। नियुक्ति हेतु इन तीनों में से किसी भी क्षेत्र में **न्यूनतम 30 वर्ष का अनुभव** होना आवश्यक है। 30 वर्ष से कम अनुभव वाले आवदकों के नाम पर चयन हेतु विचार नहीं किया जावेगा।

क्र	अनुभव का क्षेत्र	रिक्त पदों की संख्या
1	सदस्य, अकादमिक(शैक्षणिक कार्य) क्षेत्र	01 पद
2	सदस्य, सिविल सेवा क्षेत्र	01 पद
3	सदस्य, सिविल सोसायटी संगठन क्षेत्र	01 पद
कुल रिक्त पद		03 पद

अनुभव संबंधी क्षेत्रों {अकादमिक(शैक्षणिक कार्य) क्षेत्र, सिविल सेवा क्षेत्र एवं सिविल सोसायटी संगठन क्षेत्र} हेतु पृथक–पृथक आवेदन देना होगा।

(जिस क्षेत्र के सदस्य पद हेतु आवेदन किया जावेगा, उस क्षेत्र का नाम आवेदन पत्र में तथा आवेदन प्रेषित किये जाने वाले लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जावे।)

अर्हताएँ –

1) अकादमिक (शिक्षा), सिविल सेवा एवं सिविल सोसायटी संगठन के क्षेत्र में से किसी भी एक क्षेत्र में न्यूनतम **30**–वर्षों का अनुभव हो ।
2) आवेदक अपने अनुभव के क्षेत्र में प्रख्यात एवं सत्यनिष्ठ तथा निरपराध हो।
3) आवेदक किसी राजनैतिक दल अथवा वर्तमान में प्रतिबंधित किसी संगठन/संस्था/समिति का सदस्य न हो तथा आवेदक के ऊपर कोई अपराधिक प्रकरण न चल रहा हो।
4) आवेदक शारीरिक रुप से सक्रिय एवं राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण हेतु सक्षम हो।

क्रमशः....(2) पर

टीप :–

1) महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत लोकपाल के रुप में जिन्होंने कम से कम **01**–वर्ष सेवा दी हो, उन्हें नियुक्ति में प्राथमिकता दी जावेगी।
2) प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों के पैनल का निर्माण **राज्य स्तरीय चयन समिति** द्वारा किया जावेगा।

आयु सीमा – नियुक्ति के समय, उम्र **66–वर्ष** से कम हो ।

आवेदन हेतु शर्तें तथा अन्य आवश्यक जानकारियाँ

1) छत्तीसगढ़ राज्य में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत लोकपाल द्वारा पारित **"अवार्ड"** से व्यथित पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु **"त्रि–सदस्यीय अपीलीय प्राधिकरण"** का गठन किया गया है। प्राधिकरण के सदस्यों का कार्य निःस्वार्थ जनसेवा की प्रकृति का है।
2) आवेदक को निर्धारित प्रपत्र में ही जानकारी देनी होगी । आवेदन के साथ संलग्न समस्त दस्तावेज, आवेदक द्वारा स्व–प्रमाणित (Self Attested) होना चाहिये।
3) आवेदक को अपना कार्यानुभव, आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के माध्यम से प्रमाणित करना होगा।
4) आवेदन पत्र में दी गई जानकारी से संबंधित समस्त प्रमाण–पत्रों को आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5) आवेदन संबंधी प्रारूप, अर्हता एवं शर्तों की जानकारी वेबसाईट– **www.cgstate.gov.in** से डाउनलोड की जा सकती है।
6) **आवेदन केवल स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा दिनांक–10/06/2017 की संध्या–5:00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।**

कार्यावधि – अपीलीय प्राधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति प्रथमबार 02–वर्ष की समयावधि के लिये की जावेगी। कार्यप्रदर्शन एवं कार्य के मूल्यांकन के आधार पर उनकी सेवा अवधि एकबार में 01–वर्ष के लिये, अधिकतम 02–बार तक अथवा 68–वर्ष की उम्र तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जा सकेगा।

किसी भी अभ्यर्थी को पुर्ननियुक्ति नहीं दी जावेगी। अतः अपीलीय प्राधिकरण में सदस्य के रूप में एक बार कार्य कर चुके आवेदक पुनः नियुक्ति हेतु अपात्र होंगे।

क्रमशः....(3) पर

पारिश्रमिक –

प्राधिकरण के सदस्यों को फीस के रूप में देय पारिश्रमिक भुगतान प्रतिमाह अधिकतम सीमा रूपये– 30000.00 (तीस हजार रूपये मात्र) के अध्यधीन प्रति बैठक (Per Sitting) रूपये 1500.00 (एक हजार पाँच सौ रूपये मात्र) की दर से देय होगा। अन्य किसी भी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।

कार्य –

1) महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत लोकपाल द्वारा पारित 'अवार्ड' से व्यथित पक्ष को अपील का अवसर प्रदान करना।
2) प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत अपील का निपटारा 02–माह के भीतर करना।

आवेदन प्रारुप–संलग्न है।

पता – आवेदक अपना आवेदन निर्धारित प्रारुप में, आवश्यक दस्तावेजों के साथ निम्नलिखित पते पर रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट से दिनांक–10/06/2017 की संध्या– 5:00 बजे तक प्रेषित करेः–

"आयुक्त,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद,
विभागाध्यक्ष कार्यालय, ब्लॉक–II, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन,
नया रायपुर, छत्तीसगढ़, पिनकोड– 492002"

(पी.सी. मिश्रा)
आयुक्त
महात्मा गांधी नरेगा
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

आवेदन पत्र

"महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत
छत्तीसगढ़ राज्य में गठित त्रि–सदस्यीय अपीलीय प्राधिकरण के सदस्य पद हेतु आवेदन पत्र"

स्व–हस्ताक्षरित पासपोर्ट–साइज फोटो चस्पा करें।

आवेदित पद का नामः– सदस्य.....

{अकादमिक (शैक्षणिक कार्य) क्षेत्र/सिविल सेवा क्षेत्र/सिविल सोसायटी संगठन क्षेत्र में से किसी एक का उल्लेख करें। क्षेत्र का उल्लेख नहीं किए जाने से आवेदन अमान्य किया जा सकता है।}

1) आवेदक का नामः– .....

2) पिता/पति का नामः– .....

3) जन्मतिथि :– (अ) अंको में .....
(ब) शब्दों में .....

4) आवेदन के समय, आयुः– .....वर्ष.....माह.....दिन
(आयु की पुष्टि हेतु हाई/हायर सेकण्डरी स्कूल के अंकसूची की छायाप्रति संलग्न करें)

5) लिंगः– .....

6) जातिः– .....

7) वर्गः– .....
(सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग का उल्लेख करें)

8) वर्तमान पताः– .....
.....
.....

9) स्थायी पताः– .....
.....
.....

10) फोन/मोबाईल नम्बरः– .....(एस.टी.डी. कोड सहित)

11) ई–मेल एड्रेसः– .....

12) शैक्षणिक योग्यता :– (कृपया समस्त दस्तावेज की स्व–प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

क्र	उत्तीर्ण परीक्षा	बोर्ड/वि.वि. का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	प्राप्तांक प्रतिशत	श्रेणी

क्रमशः....(2) पर

13) क्या आप न्यूनतम 30 वर्षों का अनुभव रखते हैं ? यदि हाँ तो आपके अनुभव से से संबंधित क्षेत्र के नाम का उल्लेख करें :– .....

(अकादमिक(शिक्षा)/सिविल सेवा/सिविल सोसायटी संगठन में से किसी एक का उल्लेख करें, जिसमें 30–वर्ष का अनुभव हो। अनुभव की पुष्टि हेतु आवश्यक दस्तावेज भी संलग्न करें।)

14) क्रमांक 13 में उल्लेखित क्षेत्र में आपका कुल अनुभव कितने वर्ष का है ? .....

15) अनुभव का विस्तृत विवरण :– (निम्नांकित सारणी में वर्षवार क्रमानुसार विवरण देवें)

क्र	पद नाम	संस्था का नाम	सेवाअवधि वर्ष (.....से.....तक)	अनुभव क्षेत्र में उत्कृष्ठता	संलग्न दस्तावेजों का नाम

(अकादमिक(शिक्षा)/सिविल सेवा/सिविल सोसायटी संगठन में से किसी एक क्षेत्र में न्यूनतम 30–वर्षों का वर्षवार अनुभव संबंधी विवरण एवं तत् संबंध में प्रमाणिक दस्तावेज, उत्कृष्ठ कार्य संबंधी क्रियाकलाप या कार्य के संबंध में समाचार पत्रों में प्रकाशन, कोई रिपोर्ट, छायाचित्र, सेवानिवृत्ति दस्तावेज एवं अन्य ऐसा दस्तावेज, जो अनुभव से संबंधित हो, अनिवार्यतः संलग्न करें।)

16) क्या आप पूर्व में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत लोकपाल के पद पर कार्य कर चुके है ?

(अ) हाँ/नहीं :– .....

(ब) यदि हाँ तो लोकपाल के अनुभव से संबंधित जानकारी निम्नांकित सारणी में देंवे।

क्र	जिले का नाम जहाँ पर लोकपाल के पद पर कार्य किये है।	प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के जिले	कुल कितने वर्षों तक कार्य किये	कार्यकाल की अवधि (कब से कब तक)

(प्रमाण स्वरूप लोकपाल के पद पर नियुक्ति हेतु जारी आदेश की छायाप्रति संलग्न करें।)

17) मूल निवास का जिला :– ..... (निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

18) क्या किसी राजनैतिक दल या किसी प्रतिबंधित संगठन/संस्था/समिति के सदस्य है ? क्या आपके ऊपर कोई अपराधिक प्रकरण चल रहा है। (हाँ/नहीं) .....

(नहीं की स्थिति में इस आशय का 50 रुपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र संलग्न करें)

क्रमशः....(3) पर

19) क्या आप मानसिक व शारीरिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करने हेतु सक्षम हैं ? – (हां/नहीं) :– .....

(हाँ की स्थिति में किसी भी शासकीय चिकित्सक से स्वस्थता का प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

20) अन्य जानकारी, जो आपको सामाजिक रुप से ख्यातिलब्ध(Eminent) बनाती हो ।

.....

.....

(क्रमांक 20 में दी गई जानकारी की पुष्टि हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज की प्रति संलग्न करें।)

21) संलग्न प्रमाणपत्रों एवं दस्तावेजों की सूची:–

.....

.....

.....

घोषणा

आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य एवं सही है । यदि किसी भी स्तर पर मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है, तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी मैने विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों को पढ़ा है। मुझे यह जानकारी है कि अपीलीय प्राधिकरण के सदस्य का कार्य निःस्वार्थ जनसेवा की प्रकृति का है। इस पद पर मुझे महात्मा गांधी नरेगा से संबंधित अधिनियम एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अंतर्गत कार्य करना है।

स्थान :– .....

दिनांक :–.....

आवेदक के हस्ताक्षर
(पूरा नाम सहित)